आसूसिंह बनाम मदनसिंह वगैरहा राजस्व दावास संख्या 60/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.12.2019	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने तीन नम्बर फार्म के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी वादगत भूमि का सह खातेदार नहीं है तथा इसी भूमि के संबध मे इन्ही पक्षकारो के मध्य पहले दावा निर्णीत हो चुके है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को संपूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया जा चुका है। इसलिए वर्तमान दावा रेस्ज्यूडिकेटा की तारीफ में आने से दावा खारिज योग्य है। वकील वादी ने निवेदन किया कि ऐसा कोई निर्णय हो तो वादी को जानकारी नहीं है। हमने वकील उभय पक्ष की बहस के तर्को पर मनन किया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि वादगत भूमि के संबध मे एक दावा इसी न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत करते हुए संपूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को खातेदार घोषित किया जा चुका है इसलिए इस भूमि मे वादी का कोई अधिकार नही होने से विभाजन का दावा चल नहीं सकता है तथा वर्तमान दावा रेस्ज्यूडिकेटा की तारीफ मे आता है इसलिए दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलास सुनाया गया। 11/12/19 (रमेश देव) उपखण्ड अधिकारी नोखा उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)	

उपखण्ड अधिकारी * नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.23 18:03:58 IST
Reason: SelfAttested